न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 94 / 2017 **दायरा दिनांक : 03.07.2017**

उनवान

बजरंग लाल आयु 65 साल पुत्र स्वर्गीय श्री मोरपाल, जाति मीणा, निवासी जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– लालचन्द आयु 36 साल पुत्र छीतरलाल, जाति मीणा, निवासी जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

2– रघुवीर आयु 39 साल पुत्र छीतरलाल, जाति मीणा, निवासी जगन्नाथपुरा, तहसील बारां, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हेमराज बैरवा अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बी एल जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 07.02.2018**

1 यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रकरण संख्या – 32 / 2017 निर्णय दिनांक 16.06.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

2 अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण ने अपीलांट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम जगन्नाथपुरा, तहसील बारां में खसरा नम्बर 90 रकबा 2.60 हेक्टर, खसरा नम्बर 302 रकबा 0.27 हेक्टर स्थित है जो राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण और उनके भाई रमेश चन्द पुत्र छीतरलाल के खाते में दर्ज है । प्राथ्रीगण और उसके भाई ने कभी भी वादग्रस्त आराजी का रहन बेचान नहीं किया है और न ही मुनाफा काश्त पर दी है । आराजी पर प्रार्थी का कब्जा है । अप्रार्थी झगडालू प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं वो दिनांक 25.05.2017 को वादग्रस्त आराजी पर आये और धमकी दी कि वह जबरन कब्जा कर लेगे । अप्रार्थीगण को इसका कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाये कि प्रार्थीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में हस्तक्षेप न करें । अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी में उनका 1/3 हिस्सा निहित है । प्रार्थीगण ने इस आराजी पर कभी काश्त नहीं किया है । एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया जिसका क्रमांक 117/2012 है जिसमें प्रार्थीगण ने कोई जवाब नहीं दिया है । सैटलमेंट विभाग ने गलती से अप्रार्थीगण के खाते 3.73 हैक्टर आराजी दर्ज की जबकि अप्रार्थी के हिस्से में 5.60 हेक्टर आराजी दर्ज होनी चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 16.06.2017 को अप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की और प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3 अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि दिनांक 16.06.2017 को अप्रार्थी अपीलांट के उपस्थित हाने से पूर्व ही एक पक्षीय बहस सुनकर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है जबकि अपीलांट का एक वाद

अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित है जिसमें आगामी तारीख 17.07.2017 नियत की गई है । अपीलांट के पिता को संयुक्त खाते की आराजी में 35 बीघा आराजी प्राप्त हुई है परन्तु सैटलमेंट विभाग ने 3.73 हेक्टर आराजी दर्ज की जबकि 5.60 हेक्टर आराजी दर्ज होनी चाहिए थी जिसके बाबत दावा लम्बित है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता के समय से कब्जा काश्त है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 16.06.2017 को एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया गया है । अपीलांट के द्वारा एक अन्य दावा पेश किया हुआ है जो जैरकार है । अपीलांट के जवाब प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं किया गया है । सैटलमेंट की गलती से अपीलांट के खाते की आराजी कम दर्ज हुई है । कब्जा अपीलांट का ही है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि रेस्पोडेंट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं और काबिज काश्तकार है । अपीलांट बहस के लिए उपस्थित नहीं हुए थे उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7 हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर राजस्व रेकार्ड की फोटो प्रति

सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार प्रार्थीगण लाल चन्द, रघुवीर के अलावा रमेश चन्द भी है परन्तु प्रार्थीगण ने सहखातेदार रमेश चन्द को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के दावे में समस्त सहखातेदारों को पक्षकार होना आवश्यक होता है । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रार्थी अपीलांटगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि इसी आराजी के बाबत उनका भी एक दावा लम्बित है ऐसी स्थिति में दोनों दावों को समेकित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । इन समस्त तथ्यों एवं न्यायहित में अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

8 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.06.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या 7 में किये गये विवेचन के अनुसार अपीलांट को सुनवायी का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.04.2018 को उपस्थित होवें ।

9 निर्णय आज दिनांक 07.02.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा